
प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

मंत्रालयों के विभिन्न वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियां पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं। संघ सरकार के लिए, वैज्ञानिक विभागों, रक्षा सेवाएं - सेना तथा आयुध कारखाने, रक्षा सेवाएं - वायु सेना एवं नौ सेना, रेलवे, अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।